स्टाफ आर्टिस्टों की कुछ श्रेणियों के मामले में पदोन्नति के सीधे अवसर अपेक्षाकृत कम हैं ।

(ख) जी, नहीं । यह कहना सही नहीं है कि प्रोडक्शन काडर में आर्टिस्टों को पदोन्नति नहीं दी जाती

(ग) और (घ). प्रोड्यूसरों की श्रेणी के लिए सलैक्शन ग्रेड के 36 पद पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं । प्रोड्यूसर निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार उप मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए पहले ही पात्र हैं । आकाशवाणी की कार्यक्रम सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1977 में संवर्ग पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी । उक्त समिति ने, और बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ प्रोड्यूसरों का नया संवर्ग बनाने की सिफारिश की है । इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

**आकाशवाणी के केन्द्रों में प्रोड्यूसरों के रिक्त पद**

3385 **श्री रामापण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 तक आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में प्रोड्यूसरों के कितने पद रिक्त पड़े थे और इस वर्ष के अन्त तक ऐसे कितने पदों के रिक्त होने की संभावना है ;

(ख) सरकार किन कारणों से इन पदों को रिक्त रखना चाहती है और आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में अब तक प्रत्येक क्षेत्र में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में प्रोड्यूसरों के पदों को भरने का है और क्या सरकार का विचार प्रोड्यूसरों के नये पद भी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) 1-4-1980 को प्रोड्यूसरों के 18 पद रिक्त थे । इस वर्ष के अन्त तक 6 और पद रिक्त हो जाने की संभावना है ।

(ख) से (घ) प्रोड्यूसरों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है । किसी आकाशवाणी केन्द्रीय कार्यालय में प्रोड्यूसरों की संख्या वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निश्चित की जाती है । जब भी कोई पद खाली होता है, उसको भरने की कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है । स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रों में कतिपय क्षेत्रों में प्रोड्यूसरों के नये पद भी बनाए जाते हैं । इस प्रकार भर्ती निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

**Unauthorised construction in Fertilizer Corporation of India Township, Sindri**

3386. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether he is aware of large scale subletting, unauthorised construction, alterations in the Fertilizer Corporation of India township of Sindri against all rules;

(b) whether many of the quarters have turned into offices of the private contractors and the other agencies;

(c) whether there has been unauthorised occupation of the Fertilizer Corporation of India's land by some local leaders of Sindri;

(d) whether it is a fact that the Fertilizer Corporation of India management is in collusion with these unauthorised acts; and

(e) if so, steps taken thereon?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Some cases of sub letting, unauthorised construction/alterations in the Sindri Township have come to the notice of the management and the management is taking appropriate action under the rules against the offenders.

(b) No, Sir. However, a few quarters were alotted by the management to some of the contractors engaged in connection with the Sindri Rationalisation and Modernisation Projects as per contractual obligation, most of which have since been vacated by the alottee contractors. The management have aso provided quarters for Police, P&T Deptt., Railways, State Bank, Employment Exchange, Central Industrial